बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – पी०पी०एम०–24 / 2016 1427 / कृ0, पटना दिनांक 27-03- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **वर्ष 2016–17 में सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना के लिए कुल 1000.00 लाख (केन्द्रांश 600.00 एवं राज्यांश 400.00 लाख रूपये) एवं प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना अंतर्गत कुल 118.50 लाख (केन्द्रांश 71.10 लाख एवं राज्यांश 47.40 लाख रूपये) अर्थात कुल 1118.50 लाख (ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रूपये की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वर्ष 2016–17 में सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना के लिए कुल 1000.00 लाख (केन्द्रांश 600.00 एवं राज्यांश 400.00 लाख रूपये) एवं प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना अंतर्गत कुल 118.50 लाख (केन्द्रांश 71.10 लाख एवं राज्यांश 47.40 लाख रूपये) अर्थात कुल 1118.50 लाख (ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. फसलों के गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होना तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन से बीज उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।

3. केन्द्रांश मद की राशि 671.10 लाख रूपये RBI Memo No.-20 दिनांक 28.09.2016 एवं 21 दिनांक 29.09.2016 से प्राप्त है।

4. योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:–

A. बीज ग्राम

			रबी 2016–17	(राशि लाख रूप्ये में)		
फसल	बीज ग्राम की संख्या	किसान की सं0	बीज की मात्रा (क्वीं0 में)	स्वीकृत मूल्य दर (रू0 / क्वीं0)	स्वीकृत अनुदान राशि (रू0 / क्वीं0)	बीज अनुदान राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
गेहूँ	1046	104600	41840	3400	1700	711.28
चना	37	3700	1184	10000	6000	71.04
मसूर	77	7700	1232	10000	6000	73.92
मटर	20	1000	320	10000	6000	19.20
राई / सरसो	77	3850	77	9000	5400	4.16
योग	**1257**	**120850**	**44653**			**879.60**
किसान प्रशिक्षण	803 प्रशिक्षण समूह @15000 रू0 / समूह					**120.40**
कुल योग						**1000.00**
केन्द्रांश मद की राशि						600.00
राज्यांश मद की राशि						400.00
B. प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन / तेलहन द्वारा बीज ग्राम						**118.50**
केन्द्रांश मद की राशि						71.10
राज्यांश मद की राशि						47.40
केन्द्रांश मद की कुल राशि (A+B)						**671.10**
राज्यांश मद की कुल राशि (A+B)						**447.40**
योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित कुल राशि (A+B)						**1118.50**

E:\ABHINAV 2016-17\Beej gram Sankelh Submission on Seed and planting material 2016-17.docx

वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में घटकवार सहभागिता का विवरण निम्नवत है–

(राशि– लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि	राज्यांश मद की राशि	प्रस्ताव		स्वीकृत राशि
				केन्द्रांश	राज्यांश	
1	बीज ग्राम योजना	600.00	400.00	600.00	400.00	1000.00
2	प्रमाणित बीज उत्पादन द्वारा बीज ग्राम	71.10	47.40	71.10	47.40	118.50
	कुल योग	**671.10**	**447.40**	**671.10**	**447.40**	**1118.50**

उपर्युक्त प्रस्ताव A,B के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि निम्न प्रकार है–

घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
A. बीज ग्राम	600.00	400.00	1000.00
B. प्रमाणित बीज उत्पादन (दलहन, तेलहन) द्वारा बीज ग्राम	71.10	47.40	118.50
Total	**671.10**	**447.40**	**1118.50**

5. **बीज ग्राम**–योजना हेतु चयनित बीज ग्राम के चयनित किसानों को एक एकड़ के लिए गेहूं, चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। योजना से संबंधित जिलावार, फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 में संलग्न है।

6. योजनान्तर्गत गेहूं के आधार/प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज 60 प्रतिशत अधिकतम अनुदान प्रस्तावित कार्यक्रम कंडिका 4 की तालिका के कॉलम 5 में स्वीकृत अनुदान मूल्य दर के अनुसार किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत बीज मूल्य दर से बीज के मूल्य कम होने पर वास्तविक राशि का 50 या 60 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया जायेगा।

7. बीज ग्राम के किसानों को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा। एक समूह में 150 किसान को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक समूह के प्रशिक्षण पर 15000 रू0 व्यय किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत बीज की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राज्य के लिए चिन्हित सरकारी बीज कम्पनी/बिहार राज्य बीज निगम से सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजनान्तर्गत जिले के लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत राशि जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी आवंटित राशि की निकासी कर अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किसानों को करेगें। जिला कृषि पदाधिकारी कृषि निदेशालय के पत्रांक 4301 दिनांक 13.10.16 द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन करेगें।

10. **प्रमाणित बीज उत्पादन** दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा संबंधित कोषागार से बी0टी0सी0–42 पर की जायेगी तथा बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता सं0– 271 में अंतरित किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. योजना का क्रियान्वयन कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

12. वितीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–उप शीर्ष–0419–नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी–विपत्र कोड– S2401001090419, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9212	557.01	557.01
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0443– नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी विपत्र कोड–S2401007890443, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9212	107.38	107.38
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष 0465–नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी–विपत्र कोड– S2401007960465, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9212	6.71	6.71
योग	**671.10**	**671.10**
राज्यांश		
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– उपशीर्ष– 0319–नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी–विपत्र कोड– P2401001090319, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9212	371.34	371.34
2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0343–नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी विपत्र कोड–P2401007890343, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9212	71.58	71.58
2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष– 0365 नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी–विपत्र कोड– P2401007960365, विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मॉग संख्या–1, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9212	4.48	4.48
योग	**447.40**	**447.40**
सकल योग	**1118.50**	**1118.50**

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 28.02.2017 को संचिका संख्या–पी0पी0एम0–24 / 2016 में प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, कृषि एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–24 / 2016 के पृष्ठ संख्या–45 / टि० पर दिनांक: 27.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.3.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24 / 2016 1427 / कृ0, पटना दिनांक 27-03-2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24 / 2016 1427 / कृ0, पटना दिनांक 27-03-2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24 / 2016 1427 / कृ0, पटना दिनांक 27-03-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी सहायक निदेशक, उद्यान / सभी उप निदेशक, उद्यान / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\Beej gram Sandekh Submision on Seed and planting material 2016-17.docx